पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

गलन्दर

ग्राम पंचायत - गलन्दर,

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गलन्दर गाँव गलाजी कटारा नामक एक आदिवासी ने बसाया था। गलाजी के नाम से गाँव का नाम गलन्दर पड़ गया। यहाँ की जमीन पर गलाजी कटारा ने अपने परिवार के साथ कब्जा किया और खेती करने लगे। उनके साथ ही आए भाईयों ने भी आस-पास में एक-एक जगह चुनी और वहीं सपरिवार बस गए। गलाजी के सभी भाइयों ने भी एक-एक गाँव बसाया। उन गावों के नाम उन भाइयों के नाम पर रखे गए हैं। गलाजी कटारा के तीन बेटे थे- कोदर कटारा, कालू कटारा और वजा कटारा। इन तीनों भाइयों का परिवार धीरे-धीरे बढ़ता गया। साथ ही गाँव में मनात, डामोर, कटारा, कोटेड, बरंडा, खराड़ी, गरासिया आदि उपजातियों के लोग रहने आते गए और गाँव का विस्तार होता गया। आज भी गलन्दर गाँव में इन तीनों भाइयों के नाम से एक-एक फला है। गाँव में एक ही होली जलती है। गाँव में चार मंदिर है- कालिका माताजी का मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान और भाथीजी महाराज का मंदिर।

गाँव का एक परिचय - गलन्दर डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ एक बड़ा गाँव है। गलन्दर ग्राम पंचायत का अकेला गाँव है, जिसकी तहसील बिछीवाड़ा और जिला डूंगरपुर है। गाँव में लगभग 870 परिवार रहते हैं। गाँव की जनसंख्या लगभग 4050 है। गाँव का रकबा 1099.18 हेक्टेयर है। गाँव में छोटे-छोटे करीब बीस फले हैं। मुख्य रूप से सात बड़े फले हैं- गलन्दर मुख्य गाँव, पाट तलाई फला, नकुरी फला, वजुवा टिम्बरवा फला, कालि दुनिया फला, बगरोद फला, कोदर फला और तालाब फला। गलन्दर के पड़ोसी गाँव गेंजी, सालमपुरा, नवा घरा, पाँच महूड़ी, राम सागड़ा, आड़ी वाट, जालू कुआं, मानतलाई, बोर का तालाब आदि हैं। गलन्दर गाँव की अधिकाँश जमीन असमतल, पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है। गाँव की मिट्टी में छोटे-छोटे सफेद पत्थर पाए जाते हैं। गाँव की मुख्य उपज मक्का, चावल, तुअर, उड़द, सोयाबीन और मिर्ची है। गाँव में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही लोग रहते हैं, जो मनात, डामोर, कटारा, कोटेड़, बरंडा, खराड़ी, गरासिया आदि उपजातियों के हैं। गलन्दर के लोग दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदने के लिए गामड़ी अहाड़ा (9 किलोमीटर) अथवा डूंगरपुर जाते हैं। गाँव में सरकारी राशन की दो दुकानें हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा और दोवड़ा ब्लॉक के आदिवासियों को पेसा कानून की जानकारी के बारे में जागरूक करने के लिए वागड़ मजदूर किसान संगठन, डूंगरपुर द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में अन्य गाँवों के साथ गलन्दर गाँव के लोगों ने भी हिस्सा लिया। जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने से गाँव के कुछ लोगों को पेसा क़ानून की जानकारी है। गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है। जंगल की हालत ठीक नहीं है। जंगल के आस-पास रहने वाले परिवार लघु वन उपज के रूप में जंगल से चारा, लकड़ी, फल इत्यादि लाते हैं। गाँव का निकटम बाजार गामड़ी अहाड़ा और डूंगरपुर है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से गलन्दर जाने के लिए बस या टेम्पो से गेजी घाटा उतरते हैं। वहाँ से राम सागड़ा जाने वाली जीप या टेम्पो से गाँव तक जाते हैं। गेंजी घाटा पर जीप और टेम्पो काफी इन्तजार के बाद चलते हैं, जो गलन्दर गाँव की मुख्य सड़क पर टावर के पास उतारते हैं। गलन्दर गाँव में आदिवासी परिवार दूर-दूर पर बसे हुए हैं। वहाँ आने-जाने के लिए कहीं ऊबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते हैं, तो कहीं पक्की मगर टूटी हुई सी.सी. सड़क और कहीं-कहीं मात्र पगडंडियाँ है। मुख्य सड़क से गाँव के कुछ

फलों में लोगों के घरों जाने के लिए टेम्पो चलता है। जीप और टेम्पो काफी इन्तजार के बाद चलते हैं। वे सवारियाँ ओवरलोड बिठाते हैं और गाँव के आदिवासी लोग जीप की छत पर और पैरदान पर लटक कर खड़े-खड़े अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। बाकी फलों के लिए पैदल या अपने साधन से ही आना-जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य - गाँव में पांच आंगनवाड़ी है- पाट तलाई फला आंगनवाड़ी, नाकुरी फला आंगनवाड़ी, जूना खड़ा आंगनवाड़ी, धोवड़ा फला आंगनवाड़ी और तालाब फला आंगनवाड़ी। गाँव बड़ा होने से गाँव की आंगनवाड़ी में कुछ ही बच्चे आते हैं। गाँव की किशोरियों और प्रसूति माताओं में खून की कमी की गम्भीर समस्या है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। गाँव के बच्चों को भी कुपोषण ने जकड़ रखा है, जो सिर्फ इस अकेले गाँव की ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। दैनिक भोजन में प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी के चलते वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। गाँव की प्रसूति माताओं को गरीबी के चलते पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। अत: कुछ बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं, तो कुछ बाद में कमजोर हो जाते हैं। लोगों के खान-पान की आदतों, परपंरा, धार्मिक मान्यता और आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण में बढ़ रहे भ्रष्टाचार आदि के कारण कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। गाँव में स्वास्थ्य केंद्र है। पर वहाँ इलाज में सिर्फ टीकाकरण और प्रसूति तथा धात्री माताओं को मिलने वाली आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ ही मिलती हैं। गाँव का निकटम सरकारी अस्पताल सात किलोमीटर दूर लोडवाड़ा में है। मरीजों को अस्पताल टेम्पो या टैक्सी द्वारा ले जाते हैं। गाँव का निकटम पशु अस्पताल पाट तलाई में लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर है।

शिक्षा - गलन्दर में बच्चों की शिक्षा हेतु कुल चार विद्यालय हैं। जिनमें दो प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती और धोवड़ा फला में हैं। इनमें बच्चों की संख्या लगभग 220 है, जिन्हें चार अध्यापक पढ़ाते हैं। एक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें 150 बच्चों को 4 अध्यापक पढ़ाते हैं। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बच्चों की संख्या 800 है। स्कूल में 14 अध्यापक पढ़ाते हैं। गाँव के सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शुरू से ही शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है। बरसात में स्कूलों की छत से पानी टपकना, शौचालय का नहीं होना या जर्जर होना तथा शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधाएं भी विद्यालयों में नहीं है। जिसके चलते तथा कुछ लापरवाही अथवा अरुचि और गरीबी के कारण बच्चे शिक्षा बीच में छोड़ कर ड्राप आउट हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सँभालने के लिए बाल श्रम करने जैसे बी.टी. काटन में मजदूरी, दुकानों में साफ़-सफाई का काम या किसी हलवाई के साथ खुली मजदूरी में लग जाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से बच्चे बाल श्रम करके कुछ कमाने लगते हैं, इसलिए माता-पिता भी बच्चों को बाल श्रम करने से नहीं रोकते हैं।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गलन्दर गाँव का पूरा रकबा लगभग करीब 1099.18 हैक्टेयर है। गाँव के जल संसाधनों में ट्यूबवेल, तालाब, नाले, कुँए, एनिकट और हैंडपंप हैं। गाँव में 150 से अधिक लोगों ने निजी बोरवेल लगवा रखे हैं। गाँव में 5 मुख्य तालाब हैं- सूपड़ा तालाब, रामा तलावड़ी, टिमरूआ पाट तालाब, खराड़ी फला तालाब और धर्मा तलावड़ी। गाँव में करीब 15 नाले हैं। गाँव में चार मुख्य सार्वजनिक कुएं हैं - गोरावाड़ा कुआं, महूड़ी वाला कुआं (जिसमें हमेशा पानी रहता है), उमरी वाला कुआ और बाणका कुँएड़ी। सार्वजनिक कुओं के अलावा गाँव में निजी कुँए भी हैं। गाँव में 7 बड़े एनिकट हैं। यह सभी एनीकट टूट गए हैं, और इनमें से पानी रिस करके निकल जाता है। किसी-किसी एनीकट में मिट्टी भी भर गई है। सभी एनिकट बरसात के बाद ही सूख जाते हैं। गाँव के हैंडपंप और बोरवेल के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराइयों वाला पानी पीते हैं, जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती। पानी का स्वाद भी खराब हो जाता है। पानी में उपस्थित फ्लोराइड के कारण गाँव के लोगों को लाइलाज रोग फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और चलने फिरने में कठिनाई होती है। यदि पशु भी इसी पानी को पीते हैं तो उनको भी फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। सिंचाई के लिए जो लोग तालाब के आस-पास रहते हैं, वह तालाब में मोटर लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। जो तालाब से दूर रहते हैं, वह अपने खेतों की सिंचाई कुओं और बोरवेल से करते हैं। गाँव के कई घरों में निजी ट्यूबवेल लगे हैं। भू-जलस्तर नीचे गिरने और बिजली की समय पर आपूर्ति नहीं होने से बोरवेल से सिंचाई करने में परेशानी होती है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव के लोग मक्की, तुअर, उड़द, ज्वार, कपास, चावल, मूँगफली, सरसों, सोयाबीन, गेहूं, सौंफ और चना आदि फसल पैदा करते हैं। गाँव के कुछ लोगों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। ऐसी भूमि पर बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिससे दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है। बाकी समय उनको खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव के कुछ लोगों की भूमि समतल भी है। गाँव के अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना कठिन होने से गाँव के युवा राजस्थान के ही डूंगरपुर अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में 8 महिलाएं और 14 पुरुष सरकारी नौकरी में हैं; जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आदि में कार्यरत हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
भूमि कृषि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ियों की ढलान वाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली कृषि जमीन है। गाँव की असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। कुछ खेत की जमीन समतल और उपजाऊ भी है। जहाँ लोग गेहूं, सोयाबीन, और मिर्ची उगाते हैं। गाँव के चारागाह पर केवल घास होती है। चारागाह के कुछ भाग पर गाँव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।	गाँव की जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जमीन को उर्वर बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर खेत में डालना। तालाब की मिट्टी खेत में डालना और खेत को उपजाऊ बनाना। गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गाँव सभा के अधीन करके उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। चारागाह से अवैध कब्जे को हटाना और उसे गाँव के अधिकार में लेना।
जल ट्यूबवेल तालाब नाले कुँए एनिकट हैंडपंप	गाँव में 150 से अधिक लोगों ने निजी बोरवेल लगवा रखे हैं। लेकिन सभी में जल स्तर गहराई में चला गया है। गाँव के तालाबों में 5 तालाब मुख्य हैं। लेकिन गर्मी से पहले ही वे सूख जाते हैं। गाँव में करीब 15 नाले हैं, जिनमें सिर्फ बरसात में पानी रहता है। गाँव में चार मुख्य सार्वजनिक कुएं हैं। सार्वजनिक कुओं के अलावा गाँव में निजी कुँए भी हैं। लगभग आधे कुओं का पानी सूख जाता है। गाँव में 7 बड़े एनिकट हैं। सभी एनीकट टूट गए हैं और इनमें से पानी रिस कर निकल जाता है। किसी-किसी एनीकट में मिट्टी भी भर गई है और सभी एनिकट बरसात के बाद ही सूख जाते हैं। गाँव के हैंडपंप और बोरवेल के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। जिस से लाइलाज रोग फ्लोरोसिस हो जाता है। इस रोग में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं	वर्षा जल संरक्षण कर जल संबंधी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गाँव में ट्यूबवेल से जल के दोहन पर गाँव सभा को निगरानी रखना होगी। अन्यथा अविवेकपूर्ण जल दोहन करना पूरे क्षेत्र को उजाड़ सकता है। गाँव के तालाबों की गहराई बढ़ाकर मरम्मत करना। नाले पर बने एनिकट की मरम्मत करना और नए एनिकट बनाना। गाँव के टूटे हुए कुँए की मरम्मत और उथले कुओं का गहरीकरण करना। गाँव के खराब हैंडपंप की मरम्मत करना।

	और चलने फिरने में कठिनाई होती है। यदि पशु भी इसी पानी को पीते हैं तो उनको भी फ्लोरोसिस रोग हो जाता है।	
जंगल	गांव में जंगल है उसमें वन विभाग का कब्जा है। जंगल की हालत ठीक नहीं है अधिकाँश पेड़ खत्म हो चुके और पेड़ बहुत कम संख्या में बचे हैं। लोग वन से से लघु वनोपज में तेंदू पत्ता, आंवला, महूआ, खैर, घास और सीताफल के साथ ही अन्य फल, गोंद और लकड़ी भी लाते हैं। कुछ गाँववासी महूए को छुट-पुट दूकानदारों को बेचते हैं कुछ लोग घास भी जंगल से काट कर लाते है। जिसके लिए वन विभाग/वन अधिकार समिति को कुछ भुगतान कर टी.पी. कटवाना होती है।	जंगल पर सामुदायिक वनाधिकार दावा करके वन को गांव सभा के अधीन करना। जंगल के आस-पास वर्षा जल संरक्षण कर पानी रुकने की व्यवस्था करना। जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाना। तेंदूपत्ता की मजदूरी का भाव बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देंना। वन का नया परकोटा बनाना।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गांव के लोग पशुपालन गाय, बैल, भैंस भेड़ और बकरियां पालते हैं। गांव के कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। दुधारू पशु देसी नस्ल के होने के कारण दूध कम ही देते हैं। उनसे जो दूध होता है वह घर के बच्चों के पीने के ही काम आता है। गांव में चारे की कमी होने के कारण लोग गर्मी के दिनों में बाजार से चारा खरीदते हैं। गाँव के कुछ लोग गरीबी के चलते बाजार से चारा खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनके लिए पशुपालन बड़ा कठिन हो जाता है। गर्मियों में चारे की कमी के कारण उनके पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित एवं समाधान -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण में लापरवाही या ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने के कारण रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। बीच-बीच में नाले और दर्रे होने के कारण भी समस्या। समय-समय पर मरम्मत नहीं करवाने के कारण भी रास्ते की समस्या होती है। रास्ता बनाते समय कुछ लोगों की जमीन बीच में आती है और वे लोग रास्ते के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए भी रास्ते लम्बे समय तक नहीं बन पाते है। कुछ लोग सिंचाई के लिए पाइप रास्ते को बीच में खोद कर निकालते हैं। इस कारण भी रास्ते खराब हो जाते हैं।	रास्तों का निर्माण गुणवत्ता और मानकों के अनुसार हो। ठेकेदार के काम का गुणवत्तापूर्ण होना सुनिश्चित करने के बाद ही भुगतान हो। गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहाँ-जहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते के संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	अध्यापक और कमरे कम होने और अन्य सुविधाओं के अभाव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चे बीच में शिक्षा छोड़ कर बाल मजदूरी में लग जाते हैं।	अध्यापकों की नियुक्ति के लिए और विद्यालय की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन देना। इसके लिए ब्लॉक के अन्य गाँवों की भी मदद लेकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाना।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत /**	खेत पथरीले और ऊबड़-खाबड़ हैं। सिंचाई की उचित व्यवस्था	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के	**तात्कालिक**

		सार्वजनिक	नहीं है। बरसात का पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है।	लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना।	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	सक्षम और प्रभावशील लोगो को आवास आवंटन में प्राथमिकता। वंचित लोगों को आवास आवंटन में कठिनाई। जिनके आवास बन भी गए हैं, उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन भी बीच में ही रुक गयी है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	जिस भूमि पर गाँव के लोग काबिज हैं, उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। धारा 91 के तहत पटवारी द्वारा पेनाल्टी लेना बंद कर देने से आदिवासियों में ये भय व्याप्त हो गया है कि सरकार कभी भी उनकी जमीन छीन सकती है।	काबिज भूमि पर सामूहिक रुप से प्रकरण तैयार कर दावा करना और समय-समय पर पैरवी करना। पट्टे की जमीन की पेनाल्टी कोर्ट में जमा करना। क्योंकि राजस्व विभाग ने पेनाल्टी लेना बंद कर दिया है। पेनाल्टी जमा नहीं करने के कारण पट्टा खारिज हो जाएगा। इसलिए धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना।	**दीर्घकालिक**
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव का भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गाँव के कुछ लोगों को गर्मी में एक-दो किलोमीटर दूर से पीने का	बरसात के पानी को संग्रह करके शुद्ध पीने योग्य कर के पीना। गाँव में आर. ओ. प्लांट लगाना।	**तात्कालिक**

			पानी लाना पड़ता है। गाँव के अधिकाँश हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड/आयरन होना, जिससे हड्डियों की लाइलाज बीमारी फ्लोरोसिस होती है।	तालाब और एनीकट की मरम्मत तथा नए एनिकट का निर्माण कर जल स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करना।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते पक्की सड़क सीसी सड़क	आने-जाने के साधन कम होना। समय पर सडकों की मरम्मत न होना। मानदेय के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी न मिलना। सड़क निर्माण के लिए लोगों द्वारा जमीन न देना। जमीन का अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी वाली होना। सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार करना।	रास्ते ठीक होने से आवागमन के साधन बढ़ेंगे। आवागमन आसान होगा। समय की बचत होगी। रास्तों की उपलब्धता से मरीज समय से अस्पताल पहुँचाये जा सकेंगे। बच्चों को विद्यालय आने-जाने में भी आसानी होगी। सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य मनरेगा के तहत करायें जायें। इससे रोजगार के दिन बढ़ेंगे।	पंचायत और ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। गाँव सभा द्वारा विकास कार्यों की निगरानी और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना। सड़क निर्माण के दौरान होने वाले जमीन विवाद सुलझाना।
जल तालाब नाला एनिकट कुआं बोरवेल हैंडपंप	गर्मी में जल स्रोतों का सूख जाना। समय पर जल स्रोतों की मरम्मत न होना। बोरवेल के अत्यधिक उपयोग से जलस्तर का नीचे जाना। बारिश के पानी को रोकने की कोई योजना न होना।	तालाब, कुओं, नालों और एनिकट की गहराई बढ़ाई जा सकती है। समय-समय पर जर्जर जल स्रोतों की मरम्मत करना। जल स्रोतों का जलस्तर बरकरार रखने के लिए उन्हें रीचार्ज करना। बोरवेल के उपयोग	लोगों को जल प्रबंधन और बारिश के पानी को संग्रहित करने के प्रति जागरूक करना। जल स्रोतों के संरक्षण और और उनकी मरम्मत के प्रति गाँव सभा द्वारा पंचायत पर दबाव बनाना और जागरूक करना। गाँव के लोगों को संगठित

	जल प्रबंधन के बारे में जागरूकता और योजना का अभाव।	संबंधित नियम बनाये जा सकते हैं। नालों पर एनिकट और रिंगवाल बनायी जा सकती है। मनरेगा के अंतर्गत जगह-जगह कच्चे चेकडैम का निर्माण किया जा सकता है। बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना बनाई जा सकती है।	करना।
आजीविका के साधन खेती पशुपालन मछलीपालन मनरेगा चारागाह लघु वन उपज	खेती की जमीन का ऊबड़-खाबड़ और पथरीली होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। चारागाह की जमीन पर प्रभावशाली लोगों का अवैध कब्ज़ा होना। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होना। जंगल से लघु वन उपज प्राप्त करने में कठिनाई होना। जंगल का धीरे-धीरे नष्ट होते जाना। खाली जमीन पर वृक्षारोपण की किसी योजना का न होना।	समतलीकरण कर भूमि को उपजाऊ बना उस पर सब्जी उपजाई का सकती है। खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। मनरेगा के काम के लिए सामूहिक आवेदन किया जा सकता है। चारागाह पर अवैध कब्जे को हटाया जा सकता है। जंगल में लघु वन उपज के पौधे लगाये जा सकते हैं। तालाब, एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है।	मनरेगा के काम के आवेदन की रसीद लेकर पूरे 100 दिन काम और पूरा दाम लेना। गाँव सभा में रोजगार के साधनों पर चर्चा कर निर्णय लेना। पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव के लोगों को संगठित करना।

भूमि बिलानाम जंगल	बिलानाम भूमि का अधिकार पत्र काबिज लोगों को न मिलना। पटवारी और राजस्व विभाग द्वारा बिलानाम भूमि पर कार्यवाही के प्रति उदासीन होना। जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा। गाँव के लोगों द्वारा वन प्रबंधन की योजना न बनाना। वन समिति का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना।	बिलानाम भूमि अधिकार के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। वन पर सामूहिक आवेदन कर दबाव डाला जा सकता है। जंगल के विकास के लिए वृक्षारोपण व वन प्रबंधन की योजना बनाई जा सकती है।	वन अधिकार क़ानून, पेसा कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना। जंगल पर वन विभाग की मनमानी रोकना। गाँव के लोगों को संगठित करना। गाँव सभा को मजबूत करना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

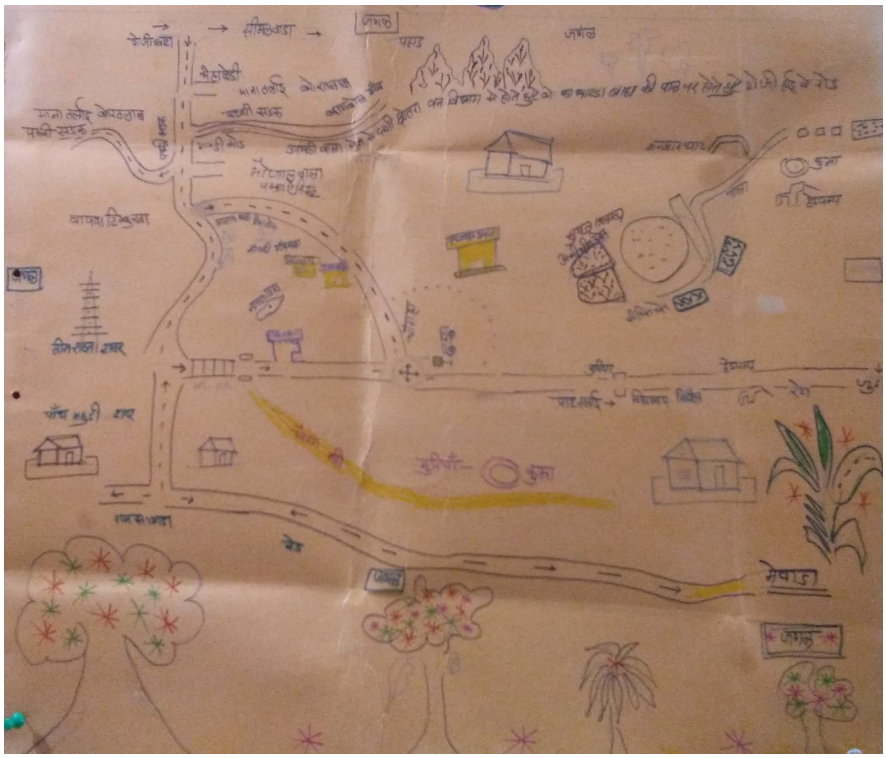

नजरिया नक्शा गलन्दर

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	2
	विकलांग पेंशन	10
	पालनहार योजना 0 से 5 वर्ष	3
	पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष	7
	विधवा पेंशन	2
	एकलनारी पेंशन	9
2	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	62
3	शौचालय बकाया भुगतान	48
4	विद्यालय के संबंध में **रा.प्रा.वि.वाजुआ टीम्बुरवा** छत मरम्मत **रा.प्रा.वि. धोवड़ा फला** छत मरम्मत अध्यापक नियुक्ति	2
5	उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सूपड़ा तालाब के पास	1
6	आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में - 1. सामेंटा फला में वार्ड नंबर 4 में सोमेश्वर हकरा कटारा के पास आंगनवाड़ी भवन एवं मनोरंजन भवन के पीछे। 2. पाटिया दलाई वार्ड नंबर 2 में हरी शंकर कटारा के घर के पास आंगनवाड़ी भवन निर्माण। 3. वार्ड नंबर 3 पाट तलाई की आंगनवाड़ी हाजा हलिया के घर के पास का मरम्मत कार्य। 4. धोवड़ा फला में आंगनवाड़ी का कार्य पूरा करवाना (छगनलाल मावजी कटारा के घर के पास)	4
7	मां बाड़ी केंद्र के संबंध में 1. वार्ड नंबर 8 में कालूराम मरता कटारा के घर के पास नया मां बाड़ी केंद्र निर्माण 2. कांकरी डूंगरी वार्ड नंबर 4 में बाला/नगजी के घर के पास नया मां बाड़ी केंद्र निर्माण 3. वार्ड नंबर 8 में काली डोजा बकू/रामा खराड़ी के घर के पास नया मां बाड़ी केंद्र का निर्माण	4

	4. वार्ड नंबर 9 में पोटला पानी में नया आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण।	
8	सामुदायिक भवन का निर्माण सुपड़ा तालाब के पास	1
9	केटेगरी 4 के कार्य -भूमि समतलीकरण, पशु बाड़ा निर्माण, खेत तलावड़ी का निर्माण कुंआ निर्माण गहरीकरण के संबंध में	58
10	रास्ता निर्माण के संबंध में 1. नकुरी से कोली वाला डूंगरा तक डामरीकरण कार्य (3 किलोमीटर) 2. काकरी डूंगरी से बनैया तालाब तक सीसी सड़क निर्माण (डेढ़ किलोमीटर) 3. पाट तलाई स्कूल से मेन रोड तक सीसी सड़क (आधा किलोमीटर) 4. लालनी दला कटारा के घर से लाल शंकर भेमा के घर तक सीसी सड़क 5. धावड़ा फला मेन रोड से नारायण थावरा के घर तक सीसी सड़क निर्माण 6. माना तलाई मेन रोड से कावा/हिरा के घर तक सीसी सड़क 7. वाजूवा टीम्बुरवा बुढ़वा से शंकरलाल माव जी के घर तक सीसी सड़क 8. वाजूवा टीम्बुरवा से वल्लभ राम के घर तक सीसी सड़क।	8
11	नए हैंडपंप	26
	हैंडपंप मरम्मत	7
12	सूपड़ा तालाब पर चबूतरा निर्माण	1
13	सूपड़ा तालाब एवं मोरण नाका तालाब के गहरीकरण का कार्य पाटिया पलमा तालाब का गहरीकरण कार्य	1
14	एनिकट के संबंध में	11
15	पक्का चेक डैम निर्माण के संबंध में	6
16	वृक्षारोपण के संबंध में	5
17	सामाजिक विवाद निपटारा के संबंध में	1
18	सामुदायिक वन दावा करने के संबंध में	1
19	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में डायन प्रथा मोताणा प्रथा बाल विवाह बाल श्रम	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

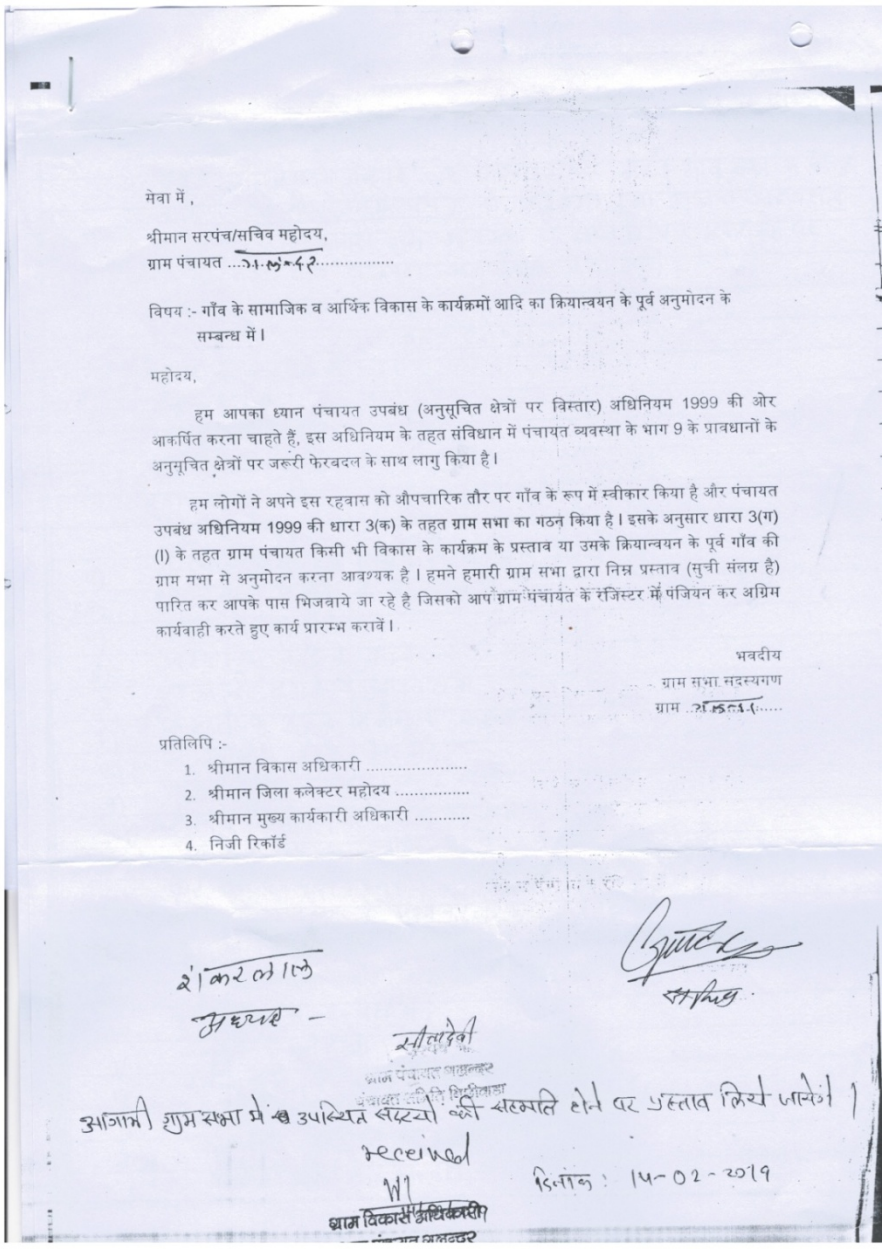

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

शंकरलाल
अध्यक्ष -

सचिव

सीतादेवी

आगामी ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति होने पर प्रस्ताव लिये जायेंगे।
received
दिनांक : 14-02-2019

ग्राम विकास अधिकारी

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

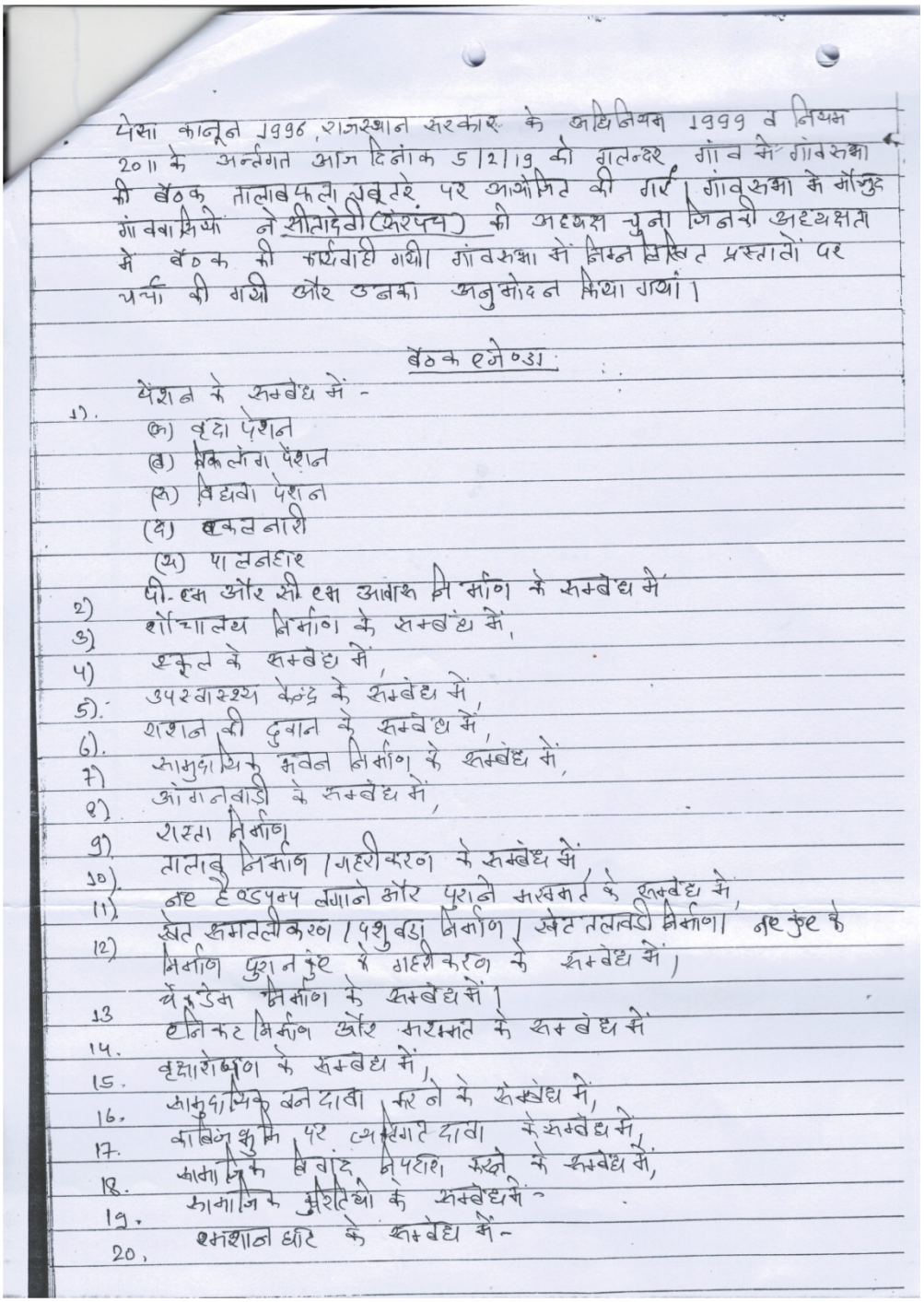

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 5/2/19 को गलन्दर गाँव में गांवसभा की बैठक तालाबफला चबूतरे पर आयोजित की गई। गांवसभा में मौजुद गांववासियों ने सीतादेवी (सरपंच) को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही गयी। गांवसभा में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

बैठक एजेण्डा:

1). पेंशन के सम्बंध में -
   (क) वृद्धा पेंशन
   (ख) विकलांग पेंशन
   (ग) विधवा पेंशन
   (घ) एकलनारी
   (ङ) पालनहार
2) पी.एम और सी.एम आवास निर्माण के सम्बंध में
3) शौचालय निर्माण के सम्बंध में,
4) स्कूल के सम्बंध में,
5). उपस्वास्थ्य केंद्र के सम्बंध में,
6). राशन की दुकान के सम्बंध में,
7) सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बंध में,
8). आंगनवाड़ी के सम्बंध में,
9) रास्ता निर्माण
10). तालाब निर्माण / गहरीकरण के सम्बंध में
11). नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने मरम्मत के सम्बंध में,
12) खेत समतलीकरण / पशुबाड़ा निर्माण / खेत तलावड़ी निर्माण / नए कुए के निर्माण पुराने कुए के गहरीकरण के सम्बंध में।
13 चैकडेम निर्माण के सम्बंध में।
14. एनीकट निर्माण और मरम्मत के सम्बंध में
15. वृक्षारोपण के सम्बंध में,
16. सामुदायिक वन दावा करने के सम्बंध में,
17. काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा के सम्बंध में,
18. सामाजिक विवाद निपटारा करने के सम्बंध में,
19. सामाजिक कुरीतियों के सम्बंध में -
20. श्मशान घाट के सम्बंध में -

प्रस्ताव प्रथम पेज

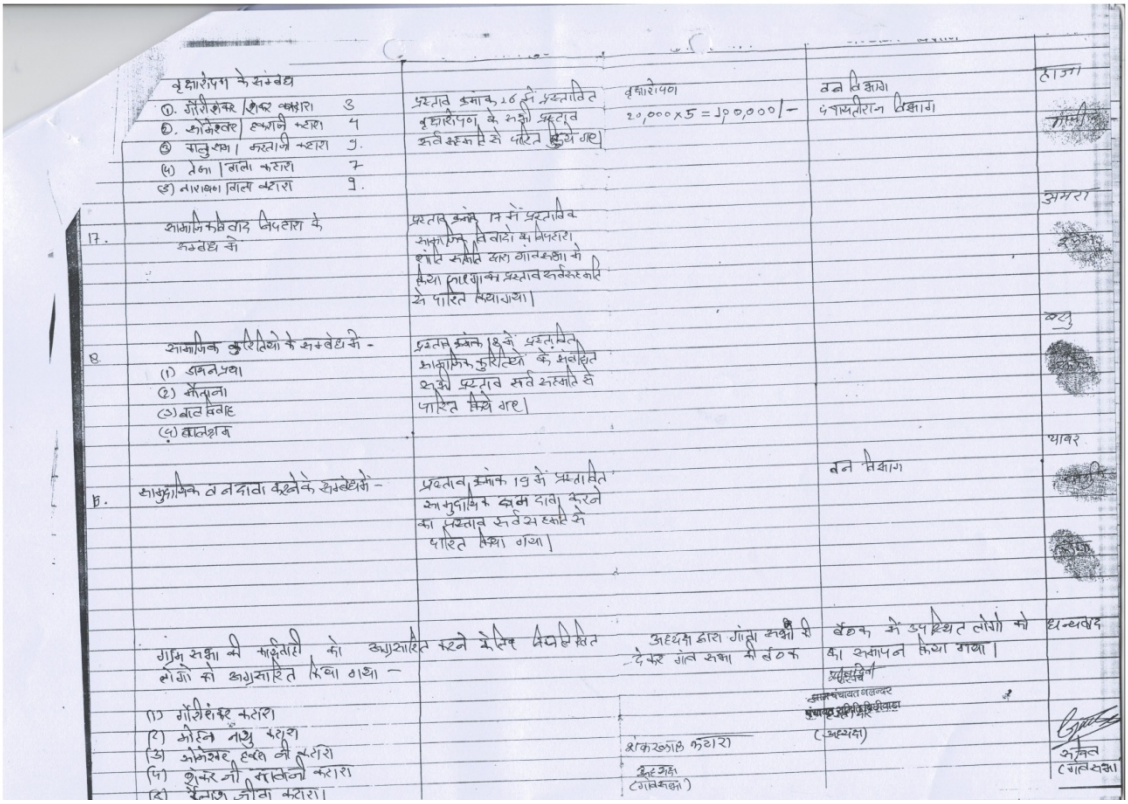

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम(V.P.F.T.)

क्र.	नाम	फ़ोन न.
1	शंकरलाल कटारा	9571214704
2	कल्याण खराड़ी	7426048895
3	धूलेश्वर खराड़ी	
4	कालूराम	7727025622
5	जीवा कटारा	